ग्राम पंचायत झिकली इच्छी, विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176209 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती कुसुमलता	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती ममता	01.04.2021 से 01.08.2021
2	श्री रोहित कुमार धीमान	02.08.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती रीता देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	राकेड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.31
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	57.93
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.93
4	8.1	दुकानों के किराये का वसूली हेतु शेष होना	1.24
5	10.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना।	1.26
6	10.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	5.07
7	10.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करना	3.30
8	10.4	आपूर्तिकर्ता को न्यूनतम निविदा आधार पर स्वीकृत दरों पर वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान करना	0.17
9	10.5	निविदाओं में अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से	0.02

		भुगतान करना।	
10	12	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	53.70

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत झिकली इच्छी का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक

क्र.स.	पैरा स.	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ 319 से अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	4(क), (ख)	अनिर्णीत	–
3.	4.2(क)	अनिर्णीत	–
4.	5	अनिर्णीत	–
5.	6	अनिर्णीत	–
6	7	अनिर्णीत	–
7	8(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
8	8(ख)	अनिर्णीत	–
9	8(ग)	अनिर्णीत	–
10	9	अनिर्णीत	–
11	10	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि की वसूली की पुष्टि उपरान्त (रसीद संख्या 246325 , दिनांक 15.01.2024 द्वारा वसूली खाता सं0 651302010000526 में जमा करवा दी गई है)
12	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
13	12	अनिर्णीत	–

14	13	अनिर्णीत	—
15	14	अनिर्णीत	—
16	15	अनिर्णीत	—
17	16	अनिर्णीत	—
18	17	अनिर्णीत	—
19	18	अनिर्णीत	—
20	19	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
21	20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
22	21.1से 21.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.01.2024 से 15.01.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2021—22	09/2021	03/2022
2022—23	04/2022	05/2022

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत

द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2024/–26 दिनांक 15.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2023/–16 दिनांकः 08.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	723688.39	117386.00	841074.39	199414.15	641660.24
2022-23	641660.24	55699.94	697360.18	360965.94	336394.24

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तषेष (कॉलम 4–5)

1	2	3	4	5	6
2021-22	1929249.82	12806953.31	14736203.13	11096886.2	3639316.93
2022-23	3639316.93	15773346.02	19412662.95	13619255.3	5793407.65

कुल योग (1+2) 336394.24 + 5793407.65 = **6129801.89**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़बही / वित्तीय स्थिति से **₹6129801.89** तथा बैंक खातों / हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹6160631.89** /– से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणी:–			
क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत	यूनियन बैंक गगल	651302010000526	360496.24
2	पांचवा वित्त	का•के•सह•बैंक गगल	20033022722	726299.89
3	एम.एम.जी.पी.वाई	एच•डी•एफ•सी•बैंक गगल	50100347348549	1975.02
4	वी.के.वी.एन.वाई	यूनियन बैंक गगल	651302010000528	306149.08
5	एम.पी.लेड	यूनियन बैंक गगल	651302010000529	21669.40
6	आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक गगल	50055672104	15247
7	एस.डी.पी / एस.डी.आर.एफ	आई•डी•बी•आई•बैंक गगल	1159104000012883	1314985.20
8	टी.एस.सी	यूनियन बैंक गगल	651302010001067	0
9	14वॉं वित्तायोग	यूनियन बैंक गगल	651302010000527	0
10	15वॉं वित्तायोग	यूनियन बैंक गगल	651302010003731	3413100.06
11	हस्तगत शेष			710
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग:–				**₹6160631.89**
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेष:–				**₹6129801.89**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:–				**₹6160631.89**
अन्तर:–				**30830**

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातो के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.30 लाख का अन्तरः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी ,जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹30830/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा—4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां./2024/17 दिनांकः 10.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—05/2023—24 दिनांक 15.01.2024 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतःइस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रतिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्टीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹743081.39 से ₹360496.24 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/25 दिनांकः 15.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15.01.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासन एवं नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹ 57.93 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां /2023/–16 दिनांक 08.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹57,93,407.65/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	5वाँ वित्तायोग	31.03.2023	726299.89
2	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2023	306285.08
3	एस.डी.पी / एस.डी.आर.एफ	31.03.2023	1314985.20
4	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2023	1975.02
5	एम.पी.लेड	31.03.2023	21669.40
6	आई.ए.वाई	31.03.2023	15247
7	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	3406946.06
		कुल जोड	5793407.65

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त ,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानो की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमो के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त

प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.93 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–16 दिनांकः 08/01/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्ति कर /गृहकर की मद में ₹93050/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/25 दिनांकः 15.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

दुकानों के किराये से आयः–

8.1 दुकानों के किराये की राशि ₹1.24 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/ अ0वृ0कां /2024/–16 दिनांकः 08/01/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार **दिनांक 31.03.2023 तक दुकानों के किराये की ₹1,23,600/– की राशि वसूली हेतु शेष थी।** जिसकी सत्यता की जांच अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी क्योंकि पंचायत द्वारा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **दिनांक 31.03.2023 को** दुकान किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।

8.2 दुकानो के किरायेदारों के साथ किराया अनुबन्ध न करनाः–

पंचायत सचिव ने कार्यालय पत्र क्रमॉंक 05/2023–24 दनॉंक 15.01.2024 द्वारा अॅंकेक्षण के दौरान सूचित किया कि पंचायत द्वारा उक्त सम्पत्तियों को किराये पर देते समय किरायेदारों के साथ किसी प्रकार का अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

उपरोक्त अनियमितताओं के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/18 दिनांकः 10.01.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमॉंक 05/2023–24 दनॉंक 15.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि बकाया दुकान किराया की वसूली जी.एस.टी. सहित कर ली जायेगी तथा

अन्य अनियमितताओं को भी पूरा कर लिया जायेगा। प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः सुझाव दिया जाता है बकाया किराया की वसूली करने के लिये अपेक्षित कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके किरायेदारों के साथ नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि पंचायत के हितों की सुरक्षा सम्भव हो सके व भविष्य में किराया वसूली में दिक्कत न आये, जिसकी सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना सख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय—समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235—00—800—03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा वर्ष 2021—22 व 2022—23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः—

क.संख्या	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021—22	10300
2	2022—23	6825
	जोड	17125

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/25 दिनांकः 15/01/2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023—24 दिनांक

15/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹1.26 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"5" पर संकलित राशि **₹1,26,049**/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/25 दिनांकः 15/01/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितत्ता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.07 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"6" में दिए गए विवरणानुसार ₹5,07,215/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/25 दिनांकः 15/01/2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹3.30/– लाख की राजस्व हानि:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या

सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट "7" पर सलग्न चुनिदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹329785.08/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/25 दिनांक: 15.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–05/2023–24 दिनांक 15/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्तिबिलो से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नही है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रायल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु देय रायल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.4 आपूर्तिकर्ता को न्यूनतम निविदा आधार पर स्वीकृत दरों पर वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹0.17 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना:–

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न प्रकरणों में न्यूनतम निविदा के आधार पर आपूर्तिकर्तों से सामाग्री का क्रय किया गया था जिसमें क्रय किये गये सामान पर निविदा में प्रस्तुत/स्वीकृत दरों पर अतिरिक्त रूप में वस्तु एवं सेवा कर ₹17159 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था। जबकि प्रस्तुत/स्वीकृत दरों में वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त रूप में भुगतान करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं था।

अनुदान	वाउचर.स0 /दिनांक/ बिल स0	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	जी.एस.टी सहित भुगतान	जी.एस.टी बिना भुगतान	अधिक भुगतान
1.15वां वित	03/11.05. 2022/818	रेत बजरी	मै0 अजय कुमार ढुगियारी गगल	27300 28298	26000 26950	1300 1348
2.15वां वित	10/13.05. 2022/813	रेत बजरी	मै0 अजय कुमार ढुगियारी गगल	54600 95183	52000 90650	2600 4533
3.15वां वित	12/13.05. 2022/814	रेत बजरी	मै0 अजय कुमार ढुगियारी गगल	54600 100328	52000 95550	2600 4778
				योग		17159

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–25 दिनांक: 15.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार/फर्म से वसूली कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः न्यूनतम निविदा के आधार पर प्रस्तुत/स्वीकृत निविदा दरों पर GST के अतिरिक्त भुगतान को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाय अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार वस्तु एवं सेवा कर के उक्त अधिक राशि भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित

कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में यदि ऐसे अन्य मामले पाये जाते है तो उस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.5 निविदाओं में अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.02 लाख का भुगतान करना।

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान से विभिन्न वाउचरों के अंर्तगत निम्नलिखित सामान का कय किया गया था:–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.मनरेगा	निल/ 21.05.2022	मै धनोटिया इंटरप्राईजेज इच्छी	सेब अन्ना सेब डेरसेट	27600 (120@230) 7590 (33@230)	28200 (120@235) 7775 (33@235)	600 165
2.मनरेगा	निल/ 21.05.2022	मै धनोटिया इंटरप्राईजेज इच्छी	सेब अन्ना ग्राफट सेब डेरसेट ग्राफट	27600 (120@230) 8050 (35@230)	28200 (120@235) 8225 (35@235)	600 175
3.मनरेगा	निल/ 21.05.2022	मै धनोटिया इंटरप्राईजेज इच्छी	सेब अन्ना ग्राफट सेब डेरसेट ग्राफट	27600 (120@230) 7360 (32@230)	28200 (120@235) 7520 (32@235)	600 160
				कुल योग		2300

उपरोक्त बिल/वाउचरों की निविदाओं (निविदाओ की छायाप्रति को रफ सीट में सलग्न किया गया है) में अनुमोदित दर से भुगतान न करके अधिक दर से ₹2300/– का अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–25 दिनांकः 15/01/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15.01.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि संबंधित फर्म/संविदाकार से वसूली कर ली जायेगी तथा संबंधित अनुदान में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार उपरोक्त किए गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 **अग्रिम ₹1.42 लाख समायोजन हेतु शेषः–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किये गए अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है, जिसे पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नियमानुसार इस रजिस्टर को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–16 दिनांकः–08.01.2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15/01/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपॅरिशन) चैतड़ू को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार ₹1,42,182/– का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन 31.03.2023 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था।

क्र.	अनुदान	वाउचर स./ दिनांक/ बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	समग्री	मात्रा	दर	राशि
1	मनरेगा	निल/19726	मै0 हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन चैतड़ू	सीमेंट बैग	141	336.13	47394

2	मनरेगा	निल / 19727	मै0 हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन चैतड़ू	सीमेंट बैग	141	336.13	47394
3	मनरेगा	निल / 19725	मै0 हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन चैतड़ू	सीमेंट बैग	141	336.13	47394
						कुल जोड	**142182**

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / –25 दिनांकः 15.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05 / 2023–24 दिनांक 15.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अग्रिम सीमेंट भुगतान का समायोजन कर लिया जायेगा। अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कार्पोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अविलम्ब अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 ₹53.70 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरो के समर्थन में निम्न विवरणानुसार राशि ₹53,70,232 / – के निमार्ण कार्यो की माप पुस्तिकाओ को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

क. स.	अनुदान	वाउचर संख्या / दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	सभा निधि	39 / 31.03. 2022	निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक रजिन्द्रर भूमि वार्ड–7	23529
2	सभा निधि	40 / 31.03.	निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक खेल मैदान	16807

		2022	टीका बाग वार्ड–11	
3	वी.के.वी. एन.वाई	19,21,33 / 23.03.2022	निर्माण वायर क्रेट कुहल के साथ नज़दीक रमा कान्त की जमीन	494516
4	वी.के.वी. एन.वाई	22,32 / 23.03.2022	निर्माण वायर क्रेट कुहल के साथ नजदीक रंजीत सिंह की जमीन	351810
5	वी.के.वी. एन.वाई	25,34 / 23.03.2022	निर्माण वायर क्रेट कुहल के साथ नजदीक चन्द्रमोहन की जमीन वार्ड–4	276660
6	वी.के.वी. एन.वाई	28,31 / 23.03.2022	निर्माण वायर क्रेट कुहल के साथ नजदीक नीरज कुमार की जमीन वार्ड–4	351810
7	वी.के.वी. वाई.एन	36,38–40 / 28.03.2022	निर्माण कम्युनिटी हाल नजदीक लेहन बस्ती	314398
8	एस.डी. आर.एफ	08,11 / 28.03.2022	पुनः नि0 सुरक्षा दीवार नजदीक खेल मैदान टीका बाग वार्ड–11	234052
9	एस.डी. आर.एफ	10 / 28.03.2022	पुनः नि0 सुरक्षा दीवार नजदीक रजिन्द्रर कुमार की जमीन	54270
10	एम.एम.जी. पी.वाई	07 / 05.03.2022	नि0 पक्का रास्ता एमल राज के घर से मस्त राम के घर तक –1	53972
11	13वां / 14 वा,15वां वित	01,08,12 / 07.03.2022,11.05.22,13.05.2022	नि0 निकास नाली स्वरूप चन्द की जमीन	387931
12	13वां / 14 वां,15वां वित	02,06,10 / 07.03.2022,12.05.22,13.05.2022	नि0 रास्ता केहर सिंह के घर से सुरजीत के घर तक	406735
13	15वां वित	03,01,03,04 / 07.03.2022, 11.05.22	नि0 रास्ता विजय कुमार घर से बन्टी के घर तक	306365
14	15वां वित	04 / 07.03.2022	नि0 व अपग्रेडेशन धोवी घाट व ढोन्डू नाला	57142
15	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 कुल्ह नजदीक कौशल्या देवी की जमीन वार्ड–5	44571
16	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 वाटर कोर्स पंजाब सिंह की जमीन से कशमीर जमीन तक	64306
17	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 वाटर कोर्स देश राज की जमीन से लेखराज जमीन तक	61786
18	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 वाटर कोर्स हरी ओम जमीन से स्वरूप	68074
19	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 वाटर कोर्स विनोद जमीन की ओर	55512
20	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 वाटर कोर्स वीर सिंह जमीन से बलदेव	63022
21	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 जीपेवल रोड पुली से संजीवन	103396
22	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 जीप रोड किशोरी दुकान से प्रीतम	38104

23	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0लिंक रोड बलहारी कोंडल जमीन से बरशना	59831
24	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड करतार जमीन से लेख राज जमीन	66218
25	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड मेन रोड से भूमि सिंह	112926
26	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0लिंक रोड भूमि सिंह की जमीन से नाले तक	106355
27	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 जीप रोड मेन रोड से दिनेश के घर तक	83681
28	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 जीप रोड सीनियर सेकेण्री स्कूल से बलदेव जमीन	91033
29	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0लिंक रोड सुनील घर से मदन के घर तक	54891
30	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0लिंक रोड अजस घर से शमनी के घर तक	60762
31	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0लिंक रोड मेन रोक से कपिल के घर तक	66440
32	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 रास्ता रोड इन्द्रजीत के घर से सुनील घर	66440
33	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड / वाटर कोर्स सुरजीत के घर से वकील जमीन तक वार्ड 2	59687
34	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड विजय जमीन से निर्मल जमीन	59340
35	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड रण्जीत जमीन से निम्मो जमीन	60245
36	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड मदल लाल जमीन से किश्न चन्द सेणी जमीन	57835
37	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड शालीग्राम डकवाल जमीन से केवल जमीन तक	104679
38	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0लिंक रोड भूमि चन्द जमीन से हरनाम जमीन	72792
39	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड हरविंदर जमीन से सुरिन्द्र जमीन	136754
40	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड जोड नाला शिव मन्दिर से राजकुमार	116066
41	मनरेगा	निल / 21.05.22	नि0 लिंक रोड संजस कुमार के घर से रजिन्द्र कुमार के घर तक	105489
			कुल योग	5370232

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत झिकली इच्छी से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 25 दिनांक: 15 / 01 / 2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05 / 2023–24 दिनांक 15 / 01 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये

तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त नियम), 2002 के नियम 101 (2) (iii) की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

13 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या 12 में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निमार्ण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया था व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए थे, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/25 दिनांकः 15.01.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत झिकली इच्छी को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/16 दिनांकः 08.01.2024 के कमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15/01/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)

3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का समुचित अनुरक्षण किया जानां सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–16 दिनांकः 08.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 15/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

16.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत झिकली इच्छी द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार समस्त भुगतानो को ग्राम पंचायत में पास करवाना तथा प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा गये भुगतानो को ग्राम पंचायत की कार्यवाही में पारित नहीं करवाया गया था। जोकि उक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना है

अतः भविष्य में समस्त भुगतानो को ग्राम पंचायत में पास करके तथा प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रखरखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

30 MAR 2024

1726 - 1730

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)319/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या - 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP JHIKLI ICHHI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	723688.39	117386.00	841074.39	199414.15	641660.24
2022-23	641660.24	55699.94	697360.18	360965.94	336394.24

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1929249.82	12806953.31	14736203.13	11096886.20	3639316.93
2022-23	3639316.93	15773346.02	19412662.95	13619255.30	5793407.65

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या - "6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP JHIKLI ICHHI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5th FC	2021-22	304198.00	681067.89	985265.89	373640.00	611625.89
		2022-23	611625.89	438135.00	1049760.89	323461.00	726299.89
2	VKVNY	2021-22	25447.48	3667301.00	3692748.48	3433597.00	259151.48
		2022-23	259151.48	546557.00	805708.48	499423.40	306285.08
3	SDP/SDRF	2021-22	90876.00	729173.00	820049.00	461055.80	358993.20
		2022-23	358993.20	2142159.00	2501152.20	1186167.00	1314985.20
4	MMGPY	2021-22	1179.00	249915.00	251094.00	249979.98	1114.02
		2022-23	1114.02	861.00	1975.02	0.00	1975.02
5	MPLAD	2021-22	20390.40	680.00	21070.40	0.00	21070.40
		2022-23	21070.40	599.00	21669.40	0.00	21669.40
6	TSC	2021-22	4796.39	150.00	4946.39	0.00	4946.39
		2022-23	4946.39	37.00	4983.39	4983.39	0.00
7	IAY	2021-22	14387.00	437.00	14824.00	0.00	14824.00
		2022-23	14824.00	423.00	15247.00	0.00	15247.00
8	13TH FC/ 14TH FC	2021-22	640175.55	20388.00	660563.55	650124.00	10439.55
		2022-23	10439.55	136.00	10575.55	10575.55	0.00
9	15TH FC	2021-22	827800.00	1801617.00	2629417.00	272265.00	2357152.00
		2022-23	2357152.00	2526755.00	4883907.00	1476960.94	3406946.06
10	MGNREGA	2021-22	0.00	5656224.42	5656224.42	5656224.42	0.00
		2022-23	0.00	10117684.02	10117684.02	10117684.02	0.00

28

JA

(परिशिष्ट "3" पैरा संख्याः "7.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत झिकली इच्छी, विकास खण्ड कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176209

दिनांक 31.03.2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2021-22 में 1209 तथा 2022-23 में 1236 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	₹ 55,000.00	1209	₹ 50.00	₹ 60,450.00	₹ 1,15,450.00	₹ 84,200.00	₹ 31,250.00
2022-23	₹ 31,250.00	1236	₹ 50.00	₹ 61,800.00	₹ 93,050.00	₹ 0.00	₹ 93,050.00
	नोटः- दिनांक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि **₹93,050/-** है।						

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

J.A.

29

(परिशिष्ट " 4 " पैरा संख्या "8.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत झिकली इच्छी, विकास खण्ड कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176209

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष:-

पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों की कुल संख्या 05 का ₹300/- प्रति दुकान (प्रतिमाह) की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति दुकान (प्रतिमाह)	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	₹ 87,600.00	5	₹ 300.00	₹ 18,000.00	₹ 1,05,600.00	₹ 0.00	₹ 1,05,600.00
2022-23	₹ 1,05,600.00	5	₹ 300.00	₹ 18,000.00	₹ 1,23,600.00	₹ 0.00	₹ 1,23,600.00

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड कांगड़ा (हि. प्र.)

30

परिशिष्ट–" 5 "

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी विकास खण्ड कांगडा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश , स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना । पैरा संख्या– "104" में संदर्भित।

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1.मनरेगा	निल/ 21.05.2022	सीमेंट बैग	19728/ 31.03.2022	178@336.13	मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई चैतडू	59831	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.मनरेगा	निल/ 21.05.2022	सीमेंट बैग	19729/ 31.03.2022	197@336.13	मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई चैतडू	66218	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					कुल जोड	126049	

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड कांगड़ा (हि. प्र.)

31

परिशिष्ट–"6 "

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी विकास खण्ड कांगडा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश , औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना। पैरा संख्या– "10.2" में संदर्भित।

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1 वी.के.वी. वाई.एन	38/28. 03.2022	सरियां	3541/28.12. 2021	-	मै0 चौधरी स्टील एंड हार्डवेयर जमानाबाद रोड इच्छी	60050	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
2.15वां वित	10/13. 05.2022	सीमेंट ढुलवाई	813/04.03. 2022	300bag@30	मै0 अजय कुमार ढुगयारी इच्छी	9000	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
3.मनरेगा	निल/21 .05.2022	पौधरोपण	163/07.03. 2022	-	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	35940	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
4.मनरेगा	निल/21 .05.2022	पौधरोपण	164/01.03. 2022	-	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	35015	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
5.मनरेगा	निल/21 .05.2022	पौधरोपण	165/01.03. 2022	-	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	35955	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
6.मनरेगा	निल/21 .05.2022	पौधरोपण	166/07.03. 2022	-	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	35800	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
7.मनरेगा	निल/21 .05.2022	नींबू स्टार फ्रूट गलगल	167/07.03. 2022	130@220 05@250 34@180	मै0 सोरभ गोल्डन टाईल्स एंड हार्डवेयर स्टोर गंगथ	28600 1250 6120	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
8.मनरेगा	निल/21 .05.2022	पौधरोपण	168/01.03. 2022	-	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	35800	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
9.मनरेगा	निल/21 .05.2022	किवी पौधे	169/01.03. 2022	-	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	36250	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
10.मनरेगा	निल/21 .05.2022	अन्ना सेब डेरसेट सेब	170/01.03. 2022	120@235 33@235	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	28200 7755	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
11.मनरेगा	निल/21 .05.2022	अन्ना सेब डेरसेट सेब	171/01.03. 2022	120@235 35@235	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	28200 8225	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
12.मनरेगा	निल/21 .05.2022	अन्ना सेब ग्राफट डेरसेट गोल्डन सेब	172/01.03. 2022	120@235 32@235	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	28200 7520	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
13.मनरेगा	निल/21 .05.2022	अन्ना सेब ग्राफट डेरसेट ग्राफट सेब	173/01.03. 2022	125@235 27@235	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	29375 6345	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
14.मनरेगा	निल/21 .05.2022	अन्ना सेब ग्राफट डेरसेट ग्राफट नींबू	174/निल	120@235 25@235 09@220	मै0 धनोटियां इंटरप्राईजेज फूटस एडं फलावरस इच्छी	28200 5875 1980	दो निविदायें प्रस्तुत की गई
15.मनरेगा	निल/21 .05.2022	सीमेंट ढुलवाई	591/01.04. 2021	252bag@30	मै0 अजय कुमार ढुगयारी इच्छी	7560	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				कुल जोड		507215	

पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत ... विकास खण्ड कांगड़ा (हि. प्र.)

32

परिशिष्ट–7

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा संख्या–"103" के सन्दर्भ में)

Name of	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cft)	Qty. (cum)	Determining	Qty.	Royality (Per	Due Royality
				1.VKVNY					
M/s Ajay Kumar Dhugiari Gaggal	19/23.03.2022	747/10.02.2022	Stone	3500	99.000	2.240	221.76	80.00	17740.80
do	22/23.03.2022	746/20.02.2022	Stone	3000	85.000	2.240	190.4	80.00	15232.00
do	25/23.03.2022	748/22.02.2022	Stone	3500	99.000	2.240	221.76	80.00	17740.80
do	28/23.03.2022	745/14.02.2022	Stone	3900	110.000	2.240	246.4	80.00	19712.00
do	36/28.03.2022	743/28.10.2021	Sand	550.000	16.000	1.620	25.920	80.00	2073.60
			Bajri	450	13.000	1.520	19.760	80.00	1580.80
								Total	74080.00
				2.SDRF					
do	08/28.03.2022	739/06.01.2022	Sand	850.000	24.069	1.620	38.992	80.00	3119.35
			Bajri	1600	45.307	1.520	68.866	80.00	5509.27
								Total	8628.63
				3.15TH FC					
do	03/11.05.2022	818/06.03.2022	Sand	500.000	14.158	1.620	22.936	80.00	1834.91
			Bajri	550	15.574	1.520	23.673	80.00	1893.81
do	10/13.05.2022	813/04.03.2022	Sand	1000.000	28.317	1.620	45.873	80.00	3669.83
			Bajri	1850	52.386	1.520	79.626	80.00	6370.10
do	12/13.05.2022	814/06.03.2022	Sand	1000.000	28.317	1.620	45.873	80.00	3669.83
			Bajri	1950	55.217	1.520	83.930	80.00	6714.43
								Total	24152.91
				4.MNREGA					
do	nil/21.05.2022	780/18.02.2022	Sand	0.000	7.000	1.620	11.340	80.00	907.20
			Bajri	0	14.000	1.520	21.280	80.00	1702.40
do	nil/21.05.2022	720/19.12.2021	Sand	0.000	9.650	1.620	15.633	80.00	1250.64
			Bajri	0	18.500	1.520	28.120	80.00	2249.60
do	nil/21.05.2022	778/08.01.2022	Sand	0.000	9.530	1.620	15.439	80.00	1235.09
			Bajri	0	19.070	1.520	28.986	80.00	2318.91
do	nil/21.05.2022	766/08.01.2022	Sand	0.000	10.000	1.620	16.200	80.00	1296.00
			Bajri	0	20.000	1.520	30.400	80.00	2432.00
do	nil/21.05.2022	777/08.01.2022	Sand	0.000	8.100	1.620	13.122	80.00	1049.76
			Bajri	0	16.200	1.520	24.624	80.00	1969.92
do	nil/21.05.2022	767/08.01.2022	Sand	0.000	9.120	1.620	14.774	80.00	1181.95
			Bajri	0	18.250	1.520	27.740	80.00	2219.20
do	nil/21.05.2022	697/06.07.2022	Sand	0.000	17.950	1.620	29.079	80.00	2326.32
			Bajri	0	35.500	1.520	53.960	80.00	4316.80
			Stone	0	17.500	2.240	39.2	80.00	3136.00
do	nil/21.05.2022	779/15.11.2021	Sand	0.000	3.900	1.620	6.318	80.00	505.44
			Bajri	0	7.810	1.520	11.871	80.00	949.70
			Stone	0	13.000	2.240	29.12	80.00	2329.60
do	nil/21.05.2022	586/01.08.2021	Sand	0.000	19.540	1.620	31.655	80.00	2532.38

ग्राम पंचायत झिकली इच्छी कांगड़ा (हि. प्र.)

			Bajri	0	38.110	1.520	57.927	80.00	4634.18
			Stone	0	20.000	2.240	44.8	80.00	3584.00
do	nil/21.05.2022	587/01.08.2021	Sand	0.000	19.480	1.620	31.558	80.00	2524.61
			Bajri	0	38.020	1.520	57.790	80.00	4623.23
			Stone	0	15.000	2.240	33.6	80.00	2688.00
do	nil/21.05.2022	585/01.08-2021	Sand	0.000	16.760	1.620	27.151	80.00	2172.10
			Bajri	0	30.050	1.520	45.676	80.00	3654.08
			Stone	0	10.000	2.240	22.4	80.00	1792.00
do	nil/21.05.2022	585/01.08-2021	Sand	0.000	18.000	1.620	29.160	80.00	2332.80
			Bajri	0	37.000	1.520	56.240	80.00	4499.20
			Stone	0	10.000	2.240	22.4	80.00	1792.00
do	nil/21.05.2022	699/01.04.2021	Sand	0.000	21.230	1.620	34.393	80.00	2751.41
			Bajri	0	17.320	1.520	26.326	80.00	2106.11
do	nil/21.05.2022	699/01.04.2021	Sand	0.000	21.440	1.620	34.733	80.00	2778.62
			Bajri	0	19.000	1.520	28.880	80.00	2310.40
do	nil/21.05.2022	695/02.10.2021	Sand	1150.000	33.000	1.620	53.460	80.00	4276.80
			Bajri	115	3.000	1.520	4.560	80.00	364.80
do	nil/21.05.2022	696/02.10.2021	Sand	1150.000	33.000	1.620	53.460	80.00	4276.80
			Bajri	115	3.000	1.520	4.560	80.00	364.80
do	nil/21.05.2022	580/01.08.2021	Sand	0.000	21.370	1.620	34.619	80.00	2769.55
			Bajri	0	17.370	1.520	26.402	80.00	2112.19
do	nil/21.05.2022	576/01.08.2021	Sand	0.000	20.480	1.620	33.178	80.00	2654.21
			Bajri	0	18.080	1.520	27.482	80.00	2198.53
do	nil/21.05.2022	579/01.08.2021	Sand	0.000	20.090	1.620	32.546	80.00	2603.66
			Bajri	0	18.230	1.520	27.710	80.00	2216.77
do	nil/21.05.2022	578/01.08.2021	Sand	0.000	20.980	1.620	33.988	80.00	2719.01
			Bajri	0	16.980	1.520	25.810	80.00	2064.77
do	nil/21.05.2022	722/20.12.2021	Sand	0.000	12.500	1.620	20.250	80.00	1620.00
			Bajri	0	25.500	1.520	38.760	80.00	3100.80
			Stone	0	26.000	2.240	58.24	80.00	4659.20
do	nil/21.05.2022	768/08.01.2022	Sand	0.000	9.700	1.620	15.714	80.00	1257.12
			Bajri	0	19.400	1.520	29.488	80.00	2359.04
			Stone	0	16.000	2.240	35.84	80.00	2867.20
do	nil/21.05.2022	770/16.12.2021	Sand	0.000	19.000	1.620	30.780	80.00	2462.40
			Bajri	0	37.000	1.520	56.240	80.00	4499.20
			Stone	0	24.000	2.240	53.76	80.00	4300.80
do	nil/21.05.2022	769/20.12.2021	Sand	0.000	12.950	1.620	20.979	80.00	1678.32
			Bajri	0	25.410	1.520	38.623	80.00	3089.86
			Stone	0	32.000	2.240	71.68	80.00	5734.40
do	nil/21.05.2022	711/21.12.2021	Sand	0.000	10.550	1.620	17.091	80.00	1367.28
			Bajri	0	21.110	1.520	32.087	80.00	2566.98
			Stone	0	37.000	2.240	82.88	80.00	6630.40
								Total	156966.53
						(1+2+3+4)		**Total**	263828.07
								25% Penalty	65957.016
								G.Total	**329785.08**